प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 387 सन 2022

अनवान :–

1. आत्माराम पुत्र गोपालराम जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर ।
2. रामप्रताप पुत्र इन्द्राज जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर
3. भागीरथ पुत्र सुलतानराम जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र गोपालराम जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. सावत्री पत्नी सोहनलाल जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. रमेश पुत्र सोहनलाल जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. सन्दीप पुत्र सोहनलाल जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. शंकरलाल पुत्र इन्द्राज जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. मनीष कुमार पुत्र सुभाष जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
7. वेदप्रकाश पुत्र सुभाष जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
8. आशाराम पुत्र सुलतान जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
9. साकोरी पत्नी गोपालराम जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
10. सुरेन्द्र कुमार पुत्र बिमला पुत्री गोपालराम जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. सिलोचना पुत्री सोहनलाल जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
12. कौशल्या पुत्री सोहनलाल जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
13. सजना पुत्री इन्द्राज जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
14. सुखदेई पुत्री इन्द्राज जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
15. गीतादेवी पुत्री इन्द्राज जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
16. सन्तोष पुत्री इन्द्राज जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
17. सावत्री पत्नी सुभाष पुत्र इन्द्राज जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
18. ममता पुत्री सुभाष पुत्र इन्द्राज जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
19. सोनू कुमारी पुत्री सुभाष पुत्र इन्द्राज जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
20. सावित्री पुत्र सुलतान पुत्र रावताराम जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
21. शारदा पुत्री सुलतान पुत्र रावताराम जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर
22. रूकमा पुत्री सुलतान पुत्र रावताराम जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 24/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 138/123 की कुल 6.3250हैक व रोही मोजा चक 24 डीपीएन के खाता संख्या 88/87 की कुल 1.5180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रावता उर्फ रावताराम पुत्र बस्ती उर्फ बस्तीराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रावता उर्फ रावताराम पुत्र बस्ती उर्फ बस्तीराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण का दादा है वादीगण के दादा रावता उर्फ रावताराम पुत्र बस्ती उर्फ बस्तीराम को देहान्त हो चुका है जिसके तीन पुत्र गोपालराम, इन्द्राज सुलतान का भी देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान सुभाष , सोहनलाल, बिमला का भी देहान्त हो गया है इसप्रकार रावता उर्फ रावताराम पुत्र बस्ती उर्फ बस्तीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण

एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 है जो रावता उर्फ रावताराम पुत्र बस्ती उर्फ बस्तीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है ।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 22 वादीगण की बहने/बुआ/माता/मृतक बहन के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 9 ता 22 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रावता उर्फ रावताराम पुत्र बस्ती उर्फ बस्तीराम के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रावता उर्फ रावताराम पुत्र बस्ती उर्फ बस्तीराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण का दादा है वादीगण के दादा रावता उर्फ रावताराम पुत्र बस्ती उर्फ बस्तीराम को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 है जो वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रावता उर्फ रावताराम पुत्र बस्ती उर्फ बस्तीराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण का दादा है वादीगण के दादा रावता उर्फ रावताराम पुत्र बस्ती उर्फ बस्तीराम को देहान्त हो चुका है के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 22 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र/भतिजो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 23 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 138/123 की कुल 6.3250हैक्ट व रोही मोजा चक 24 डीपीएन के खाता संख्या 88/87 की कुल 1.5180हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रावता उर्फ रावताराम पुत्र बस्ती उर्फ बस्तीराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रावता उर्फ रावताराम पुत्र बस्ती उर्फ बस्तीराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण का दादा है वादीगण के दादा रावता उर्फ रावताराम पुत्र बस्ती उर्फ बस्तीराम को देहान्त हो चुका है जिसके तीन पुत्र गोपालराम, इन्द्राज सुलतान का भी देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान सुभाष , सोहनलाल, बिमला का भी देहान्त हो गया है इसप्रकार रावता उर्फ रावताराम पुत्र बस्ती उर्फ बस्तीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 है जो रावता उर्फ रावताराम पुत्र बस्ती उर्फ बस्तीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है ।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 22 वादीगण की बहने/बुआ/माता/मृतक बहन के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 9 ता 22 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 138/123 की कुल 6.3250हैक व रोही मोजा चक 24 डीपीएन के खाता संख्या 88/87 की कुल 1.5180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रावता उर्फ रावताराम पुत्र बस्ती उर्फ बस्तीराम के नाम सें दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि रावता उर्फ रावताराम पुत्र बस्ती उर्फ बस्तीराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण के पूर्वज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है ।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 9 ता 22 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 9 ता 22 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 22 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 138/123 की कुल 6.3250हैक एव रोही मौजा चक 24 डीपीएन के खाता संख्या 88/87 की कुल 1.5180हैक भूमि रावता उर्फ रावताराम पुत्र बस्ती उर्फ बस्तीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर दोनो खातो में वादी संख्या 1 अकेला 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 हिससा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के सयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा , वादी संख्या 2 के 1/2 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 के 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 ,7 सयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 8 के सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट.......... रामगढ़